


27-08-25

पत्रावली पेश हुई। वकील अर्धी अनुपस्थित।  
अर्धी का मूल वाद तलबी के अभाव में इसी स्तर  
पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह ग० पत्र  
अधिकल्पहीन होने के कारण इसी स्तर पर  
खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीब  
तकमील होकर शामिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय  
में बुनाया गया।

  
(सुनीलकुमार चौहान)  
R.A.S.